चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक:–प.13(2)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक: 13/05/22

– : आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार राज्य के 10 जिलों (अजमेर, अलवर, भीलवाडा, धौलपुर, हनुमानगढ, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर) की 14 नगरीय निकायों में 17 सदस्यों के उप चुनाव से संबंधित प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। अतः मतदान दिवस दिनांक 29.05.2022 (रविवार) को होने के कारण आदर्श आचार संहिता भाग–7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें:–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो वे किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर लालबत्ती या सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शैली किशनानी)
विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव (जीजी), मुख्यमंत्री कार्यालय ।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव ,राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान,जयपुर को उनके पत्र कमांक 8992 दिनांक 04.05.2022 के कम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निबन्धक ,राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
15. संम्भागीय आयुक्त अजमेर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर ।
16. जिला कलक्टर अजमेर, अलवर, भीलवाडा, धौलपुर, हनुमानगढ, झुंझुनु, जोधपुर, पाली, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर ।
17. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
18. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
20. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक।
21. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1,3,4,5,6)विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. रक्षित पत्रावली ।

विशिष्ठ शासन सचिव

523

नगरीय निकायों के उप चुनाव मई, 2022 हेतु चुनाव कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	13.05.2022 (शुक्रवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	17.05.2022 (मंगलवार) प्रातः 10.30 से अपराह्ण 3.00 बजे तक (दिनांक 15.05.2022(रविवार) को छोड़कर)
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	18.05.2022 (बुधवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि	20.05.2022 (शुक्रवार) अपराह्ण 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	21.05.2022 (शनिवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	29.05.2022 (रविवार) प्रातः 7.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	30.05.2022 (सोमवार) प्रातः 8.00 बजे से

2.5.2022

राज्य निर्वाचन आयोग

नगरीय निकायों के उप चुनाव मई, 2022
उप चुनाव हेतु रिक्त वार्डों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	क्र. स.	नगरपरिषद / नगरपालिका का नाम	रिक्त वार्ड सं.
1.	अजमेर	1.	न.प. किशनगढ़	07
2.	अलवर	2.	न.प. भिवाड़ी	58
		3.	न.पा. तिजारा	25
		4.	न.पा. किशनगढ़बास	1
3.	भीलवाड़ा	5.	न.प. भीलवाड़ा	42
4.	धौलपुर	6.	न.पा. राजाखेड़ा	07
		7.	न.पा. राजाखेड़ा	09
5.	हनुमानगढ	8.	न.प. हनुमानगढ़	60
		9.	न.प. हनुमानगढ़	17
		10.	न.प. हनुमानगढ	22
		11.	न.पा. पीलीबंगा	14
6.	झुंझुनू	12.	न.पा. बिसाउ	14
7.	जोधपुर	13.	न.पा. बिलाड़ा	26
8.	पाली	14.	न.पा. सादड़ी	31
9.	श्रीगंगानगर	15.	न.पा. गजसिंहपुर	4
		16.	न.पा. श्रीविजयनगर	7
10.	उदयपुर	17.	न.पा. सलूम्बर	9

2.5.2022

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ. 4(2)(1)नपा/रानिआ/ 2022/ 8992 दिनांक : 4/5/2022

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– नगरीय निकायों के उप चुनाव माह मई, 2022 – आदर्श आचरण संहिता की पालना बाबत्।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 10 जिलों की 14 नगरीय निकायों में 17 सदस्यों के उप चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 13.05.2022 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 29.05.2022 को होगा। रिक्त पदों की सूची एवं उप चुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गये हैं, जो चुनाव प्रकिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। अतः आदर्श आचरण संहिता के भाग–7 की पालना सुनिश्चित करवायी जावे। आदर्श आचरण संहिता की पालना हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय है :–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्री गण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलो या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. निर्वाचन से जुडे सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावें।

संलग्नः– 1. चुनाव कार्यक्रम एवं रिक्त पदों की सूची।
2. आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका

आज्ञा से,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक : एफ. 4(2)(1)नपा/रानिआ/ 2022/ 8993 दिनांक : 4/5/2022

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, अलवर, भीलवाडा, धौलपुर, हनुमानगढ, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति संख्या 973
दिनांक 10/5/22

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान